Date – 19 September 2022

राष्ट्रीय रसद नीति

राष्ट्रीय रसद नीति

संदर्भ- हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति का शुभारम्भ किया है। इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार ने 2020 के बजट सत्र में कर दी थी।

नीति की आवश्यकता- भारत में अन्य देशों की तुलना में रसद खर्च बहुत अधिक है। घरेलू व निर्यात बाजारों में, भारतीय उत्पाद की लागत में प्रतिस्पर्धात्मक सुधार के लिए, घरेलू सामान की लागत को कम करना अनिवार्य समझा जा रहा है।

रसद- रसद सामान्यतः ग्राहकों या निगमों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मूल बिंदु और उपभोग के बिंदु के बीच उत्पादों के प्रवाह का प्रबंधन है। रसद में प्रबंधित संसाधनों में सामग्री उपकरण व आपूर्ति या भोजन संबंधी मूर्त सामान शामिल होते हैं।

राष्ट्रीय रसद नीति, वितरण रसद की संकल्पना पर आधारित है। इसमें उत्पाद को ग्राहकों तक पहुँचाना होता है। ग्राहकों तक उत्पाद की पहुँच के समय को कम से कम करना इस नीति का उद्देश्य है।

राष्ट्रीय रसद नीति- परिवहन से संबंधित बाधाओं को दूर करने, उद्योगों के समय व मूल्य की बचत के लिए राष्ट्रीय रसद नीति को तैयार किया गया है। इस नीति हेतु रसद क्षेत्र में कुछ परिवर्तन किए जाने हैं-

- **तकनीकों का उपयोग –** लॉजिस्टिक क्षेत्र को मजबूत करने के लिए उचित तकनीक के प्रयोग का प्रावधान है।

1. ई- संचित के माध्यम से पेपरलैस एक्जिम व्यापार प्रक्रिया

2. कस्टम्स में फेसलेस कर निर्धारण
3. ई- वे बिल का प्रवधान
4. फास्टैग

- **यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लैटफॉर्म-**

1. यूलिप पोर्टल परिवहन संबंधित सभी डिजिटल सेवाओं को एक ही प्लैटफॉर्म पर लाएगा।
2. निर्यातकों को लंबी व बोझिल प्रक्रियाओं से मुक्त करेगा।
3. ईज ऑफ लॉजिस्टिक सर्विसेज के माध्यम से उद्योग संघ संचालन व प्रदर्शन में आ रही समस्या को सरकारी एजेंसी के समक्ष उठा सकते हैं।

- **लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी में सुधार-**

1. सागरमाला व भारतमाला जैसी परियोजनाओं से माल ढुलाई के काम में अभूतपूर्व तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है।
2. रसद ले जाने वाले भारतीय रेलों, बंदरगाहों की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। इसमें किसान रेल, किसान उड़ान को भी शामिल किया जा सकता है।

लक्ष्य-

- वैश्विक मानको को पूरा करने के लिए 2030 तक लॉजिस्टिक लागत को कम करना।
- भारत में लॉजिस्टिक लागत अन्य देशों की तुलना में बहुत अधिक है, अतः वर्तमान की 13-14 % लागत को कम से कम कर एक अंक अर्थात 10% से कम करना।
- रसद प्रदर्शन सूचकांक में शीर्ष 25 देशों की सूची में शामिल होना।
- डिजिटल मैपिंग के माध्यम से लॉजिस्टिक पार्कों का निर्माण करना, ये पार्क कई गोदामों का संग्रह होते हैं जहां ग्राहक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार सेवा चुन सकते हैं।

YOJNA IAS

गुंजन जोशी

स्थानीय भाषाओं का हो सम्मान

स्थानीय भाषाओं का हो सम्मान

संदर्भ- हाल ही में आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से तेलंगाना के हैदराबाद जाने वाली फ्लाइट में एक महिला को केवल हिंदी व अंग्रेजी न जानने के कारण 2A से 3C में स्थानांतरित कर दिया गया, महिला की सहयात्री ने इस मामले को ट्विटर में लिखा कि "अटैंडैंट न कहा यह

सुरक्षा का मुद्दा है कि वह हिंदी या अंग्रेजी नहीं समझती।" और "गैर हिंदी को अपने ही राज्य में द्वितीयक श्रेणी के नागरिक के रूप में माना जाता है।"

भारत में भाषा की स्थिति–

भारत विविध संस्कृतियों के साथ विविध भाषाओं व बोलियों से भरा देश है। भारत की सभी भाषाएँ क्षेत्रीय बोलियों से उपजी हैं। बोली का अर्थ वह शब्द पद्धति से लिया जाता है, जिसे बोला तो जा सकता है पर उसके लिए विशेष रूप से कोई लिपि नहीं है। और भाषा जिसके लिए विशेष लिपि का निर्धारण किया गया है।

वर्तमान में भारतीय संविधान में भाषा के लिए प्रावधान-

- भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजकीय भाषा का स्थान दिया गया था।
- संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343- 351 में भारतीय भाषा के लिए विशेष प्रावधान रखे गए है।
- अनुच्छेद 343(1) में देवनागरी लिपि युक्त हिंदी भाषा को राजकीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसके साथ अंग्रेजी को 15 वर्ष तक सरकारी कार्यों के लिए बने रहने दिया गया था।
- अनुच्छेद 344 में हिंदी के विकास के लिए राजभाषा आयोग का गठन करने का प्रावधान था।
- अनुच्छेद 345 में राज्यों के विधानमण्डल में राजकीय कार्य हेतु स्थानीय भाषा या हिंदी का प्रावधान रखा गया और जब तक यह संभव न हो तब तक अंग्रेजी को ही स्थानीय क्षेत्रों में अंग्रेजी को यथावत बने रहने दिया गया।
- अनुच्छेद 347 के अनुसार यदि किसी राज्य के जनसमुदाय द्वारा उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजकीय मान्यता प्रदान करने की मांग की जाती है तो राष्ट्रपति उस भाषा को सभी या कुछ एक शासकीय प्रयोजनों के लिए मान्यता देने के निर्देश देंगे।
- अनुच्छेद 350 के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य में उस समय प्रयुक्त राजभाषा में अभ्यावेदन दे सकता है।
- अनुच्छेद 120 संसद में सदन को संबोधित करने के लिए मातृ भाषा को प्रयोग करने की अनुमति देता है।
- संविधान की **आठवी अनुसूची में 22 भाषाओं** को मान्यता दी गई है-

असमिया	उड़ीसा	कन्नड़	कश्मीरी	गुजराती	तमिल
तेलगू	पंजाबी	बांग्ला	मराठी	मलयालम	सिंधी

हिंदी	संस्कृत	मणिपुरी	कोंकड़ी	संथाली	बोडो
डोंगरी	मैथिली	नेपाली			

विरोध के कारण-

- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जिसमें मानव को अपने दायरे में मानव गरिमा व जीवन के सभी पहलुओं के साथ रहने का अधिकार था जो एक व्यक्ति को सार्थक व लायक बनाने के लिए चाहिए। के अनुसार महिला को उसकी सीट पर बैठने का अधिकार था।
- क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय भाषा के विरुद्ध कार्यवाही, जबकि तेलगू संविधान की 22 अनुसूचित भाषाओं में से एक है।
- महिला सुरक्षा संबंधी नियमों को हिंदी व अंग्रेजी में समझने में असमर्थ थी। जबकि 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा की मांग को अस्वीकार कर दिया था। क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्षेत्र विशेष में क्षेत्रीय भाषा के कारण ही अपमानित होना पड़ा।

कार्यवाही – तेलंगाना के मंत्री के टी रामाराव ने घटना का संज्ञान लेते हुए कहा कि इंडिगों को स्थानीय भाषा के ज्ञान की विशेषज्ञता युक्त अधिक स्टाफ रखने की हिदायत दी है।

सुझाव-

- अहिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- इण्डिगो समेत सभी सेवा क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा के ज्ञान की विशेषज्ञता युक्त कर्मचारियों की नियुक्ति करना।

गुंजन जोशी

मानव पशु संघर्ष

संदर्भ – हाल के कुछ वर्षों से मानव पशु संघर्ष की घटनाओं में काफी इजाफा हुआ है जो जंगलों के समीप लगभग सभी क्षेत्रों के लिए समस्या का कारण बना हुआ है, ऐसे ही एक संघर्ष में छत्तीसगढ़ के सुरजपुर जिले में हाथी ने दो लोगों को कुचल कर मार डाला।

मानव पशु संघर्ष – जलवायु में हो रहे बदलावों के चलते वन्य पशु और मानवों के मध्य लगातार संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मानव व पशु एक ही क्षेत्र में चले जाते हैं। और संसाधनों के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

कारण

- **वन्यजीवों के प्रति असहनशीलता** जैसे फसल की रक्षा हेतु किसान खेत के चारों ओर बिजली की खुली तार लगाते हैं प्रवेश करते हुए वन्य जीवों को करंट लगता है ओर वे खुंखार हो जाते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन** के कारण वन्य जीव अनुकूलित आवास की तलाश में मानवीय बस्ती में आ जाते हैं।
- न्यू मैक्सिकों के अध्ययन के अनुसार **अल नीनो या अल नीना चक्र** के समय सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जो संसाधनों की कमी के कारण मानव पशु संघर्ष का कारण बनती है।
- अधिक उपज के लालच में मानव द्वारा **वनों का कटान** कर वनों को कृषि क्षेत्र में परिवर्तित करने से बाघ, हाथी और भालू जैसे आक्रामक जानवरों के आवास स्थल सिकुड़ जाते हैं। और वे मानव बस्तियों में आकर जन, धन को नुकसान पहुँचाने लगते हैं।
- भारत में जलवायु परिवर्तन के कारण नीली भेड़ों के **पसंदीदा भोजन** की उत्पत्ति में कमी आई है, जिस कारण उनकी भोजन के लिए मानवीय आवासों में आवाजाही बढ़ने लगी। इसी प्रकार हाथी भी अपने पसंदीदा भोजन बांस के पत्तों की तलाश में जंगलों से बाहर आ जाते हैं।
- एक वयस्क हाथी को 2 क्विंटल हरा चारा व 150 किलो स्वच्छ पानी की **आवश्यकता** होती है इस आवश्यकता की पूर्ति न होने पर हाथी वन्य क्षेत्र से बाहर आ जाते हैं।

- मानवीय विकास के कारण प्राकृतिक **वन्य जीव गलियारे** बाधित हुए हैं। भिन्न भिन्न क्षेत्र के वन्य जीवों की आबादी के बीच संपर्क बनाने में ये गलियारे सहायक होते हैं।

निवारण-

- बाघ संरक्षण परियोजना के अनुसार किसी भी खतरे निपटने के लिए उचित तकनीकी जैसे- वाहन, ट्रैक्किलाइजर गन, दूरबीन और रेडियो सैट अप उपलब्ध कराए जाते हैं।
- एक शोध के अनुसार मधुमक्खी के छत्ते की बाढ़ से पशु फसलों के पास नहीं आते।
- IIM काशीपुर और DIC द्वारा एक **परिणाया प्रकृति** डिवाइस बनाई गई है। जो जानवरों की उपस्थिति को भांपकर सायरन की ध्वनि उत्सर्जित करती है। ध्वनि की तीव्रता इस प्रकार रखी जाती है कि जो पशु सहन न कर पाएँ और फसलों को बचाया जा सके।
- प्राकृतिक गलियारे बाधित होने क कारण मानव निर्मित गलियारों का निर्माण हो रहा है ,हाल ही में एशिया का सबसे लंबा वन्य जीव गलियारे का निर्माण किया जा रहा है। जिससे वे बिना किसी बाधा के अन्य वनों में आवागमन कर सके।

गुंजन जोशी

YOJNA IAS